न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

वउनवान–अब्दुल कयूम बनाम मो. सलीम व अन्य
किस्म–दीवानी मूल नंबर–120/12 क.न.–111/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12-03-26	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 के संबंध में वहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजात पेश करना चाहता है जिनमें– अब्दुल कयूम का मृत्यु प्रमाण पत्र असल, एफआईआर नंबर 197/18 पुलिस थाना मकराना की प्रमाणित प्रति, एसीजेम न्यायालय मकराना में पेश आवेदन दिनांक 17.09.2024 की प्रमाणित प्रति, प्रकरण संख्या 197/18 में पुलिस थाना मकराना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, अब्दुल करीम का दिनांक 14.12.2016 के शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, इकरारनामा दिनांक 11.01.2004 की प्रमाणित प्रति, अंजूमन इस्लाहुल मुस्लेमीन द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र दिनांक 26.10.2017, अब्दुल करीम के राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, अब्दुल करीम के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही, कार्यालय तहसीलदार मकराना के दिनांक 13.07.2011 व 15.07.2011 के आदेशिका की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार मकराना द्वारा पुलिस थाना परवतसर को प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2013 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट दिनांक	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	30.03.2013 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार मकराना को थानाधिकारी मकराना द्वारा प्रेषित पत्र की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार मकराना का दिनांक 14.08.2014 का जवाब, मोहम्मद हसन का तहसीलदार मकराना को प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2011 की प्रमाणित प्रति, अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल मकराना द्वारा दिनांक 16.07.2011 को जारी पत्र, नगर परिषद मकराना में प्रार्थी मोहम्मद हसन का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2014 व नगर परिषद की आदेशिका दिनांक 05.12.2018 तक की प्रमाणित प्रति, अब्दुल करीम के नाम जारी जल कनेक्शन के बिल 25.06.2010 से 26.09.2025 तक, मृतक जलालुदीन के सिजरा खानदान की प्रमाणित प्रति है। उक्त दस्तावेजात वाद के न्याय निर्णय हेतु आवश्यक है। उक्त दस्तावेजात की सत्यता के संबंध में प्रतिवादी मोहम्मद हसन ने अपना शपथ पत्र भी पेश किया है अतः वर्णित दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि दस्तावेज संख्या 1 प्रतिवादी ने वादी की सम्पति को हडप करने के आशय से फर्जी बनाया है जिसको निरस्त करवाने की रीट माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। दस्तावेज संख्या 5 शपथ पत्र प्रतिवादीगण ने फर्जी बनाया है। दस्तावेज संख्या 6 इकरारनामा असल नही है और स्थाई सम्पति के हस्तान्तरण से संबंधित तथ्य अंकित है जो न तो पंजीकृत है और न ही प्रोपर स्टाम्पित है। दस्तावेज संख्या 8 राशन कार्ड फोटोकॉपी में कांट छांट कर उसे प्राध्यापक से

अपर सिविल न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अटेस्टेड करवाकर फोटोकॉपी को पीएचईडी विभाग से प्रमाणित करवाकर लाए है जिसे रिकॉर्ड पर नही लिया जा सकता और असल वादी के पास है जिसमें अब्दुल कयूम लिखा है इसके अलावा जल कनेक्शन के बिल प्रतिवादीगण ने पेश किए है जो प्रतिवादीगण ने सम्पति हडप करने के लिए अब्दुल करीम के नाम से कनेक्शन ले रखा है जिसकी एफआईआर वादी ने दर्ज करवा रखी है, साथ ही प्रतिवादीगण ने उक्त दस्तावेजात वादी के बयानो के बाद पेश किए है जिसका कोई उचित कारण नही बताया है, साथ ही अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राशन कार्ड संख्या 391 असल की फोटोकॉपी में कांट छांट कर उसकी प्रति को सहायक अभियंता पीएचईडी विभाग से प्रमाणित करवाकर उस पर ऑरिजनल राशन कार्ड बाद में अंकित कर पेश किया है व शपथ पत्र भी पेश किया है लेकिन उसे प्रमाणित करने का अधिकार सहायक अभियंता मकराना को नही है इस प्रकार उक्त दस्तावेज फर्जी बनाया है और उसे प्रदर्शित करवाना चाहते है जिससे उसकी सत्यता के लिए विभाग से जानकारी लेना आवश्यक है अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कथन किया कि प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जावें इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश	

अपर जिला न्यायाधीश मकराना जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर... तारीख... आहलकार...
	दस्तावेजात का न्यायालय के द्वारा अवलोकन किया गया जिनमें:— अब्दुल कयूम का मृत्यु प्रमाण पत्र असल, एसीजेएम न्यायालय मकराना में पेश आवेदन दिनांक 17.09.2024 की प्रमाणित प्रति, प्रकरण संख्या 197/18 में पुलिस थाना मकराना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, अब्दुल करीम का दिनांक 14.12.2016 के शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, अंजूमन इस्लाहुल मुस्लेमीन द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 26.10.2017, अब्दुल करीम के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही, कार्यालय तहसीलदार मकराना के दिनांक 13.07.2011 व 15.07.2011 के आदेशिका की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार मकराना द्वारा पुलिस थाना परबतसर को प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2013 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट दिनांक 30.03.2013 की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार मकराना को थानाधिकारी मकराना द्वारा प्रेषित पत्र की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार मकराना का दिनांक 14.08.2014 का जवाब, मोहम्मद हसन का तहसीलदार मकराना को प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2011 की प्रमाणित प्रति, अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल मकराना द्वारा दिनांक 15.07.2011 को जारी पत्र, नगर परिषद मकराना में प्रार्थी मोहम्मद हसन का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2014 व नगर परिषद की आदेशिका दिनांक 05.12.2018 तक की प्रमाणित प्रति एवं मृतक जलालुदीन के सिजरा खानदान की प्रमाणित प्रति है जिन्हे रिकॉर्ड पर लिया जाना **न्यायोचित प्रतीत होने से रिकॉर्ड पर लिए जाते है।** **शेष दस्तावेजातः—** इकरारनामा दिनांक 11.01.2004	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

की प्रमाणित प्रति, अब्दुल करीम के राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति के संबंध में वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस विरोध दर्ज कराते हुए कथन किया कि दिनांक 11.01.2004 के इकरारनामें पर टी.सी. कर उदयलाल, एस.आई. पुलिस थाना मकराना द्वारा जारी करने का अंकन है इस संबंध में प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त असल इकरारनामा दर्ज कराई गई एफआईआर के साथ पेश है या नही इस संबंध में दस्तावेजात के अवलोकन करने से प्रकट है कि उक्त दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत थाने से प्राप्त करने का कोई अंकन उक्त दस्तावेजात पर नही है। थानाधिकारी मकराना को दस्तावेजात की सत्यप्रति जारी करने की अधिकारिता तभी प्राप्त है तब मूल दस्तावेज उनके समक्ष हो। साथ ही प्रतिवादीगण ने राशन कार्ड की प्रति सूचना के अधिकार के तहत सहायक अभियंता पीएचईडी मकराना से प्राप्त कर पेश की है जिसके अवलोकन से प्रकट है कि उक्त राशन कार्ड पर फोटोकॉपी को प्राध्यापक, जीव विज्ञान दिनांक 16.03.2013 के द्वारा अटेस्टेड करने का अंकन है अर्थात उक्त दस्तावेजात जो प्रतिवादीगण ने पेश किए है वह मूल हो यह प्रथम दृष्टया जाहिर नही होता है क्योकि यदि उक्त दस्तावेजात मूल होते तो उक्त दस्तावेजात पर प्राध्यापक के द्वारा P.C. Attested का अंकन नही होता अतः उक्त **दोनो दस्तावेजात इकरारनामा दिनांक 11.01.2004 व राशन कार्ड की प्रति को रिकॉर्ड पर नही लिया जाता है।**

शेष दस्तावेजातः— प्रतिवादीगण द्वारा पेश जल कनेक्शन के बिलो का अवलोकन करे तो उक्त पेश बिलो पर सेवा कमांक/खाता संख्या का अंकन है

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

लेकिन उक्त जल बिलो के संबंध में दिए गए आवेदन पत्र की प्रति पेश नही की है उक्त दस्तावेजात बाबत प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने कथन किया है कि उक्त पानी के बिलो में जो सेवा कमांक अंकित है इस संबंध में वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि जलदाय विभाग से जो दस्तावेजात लिए है। उन्होने जानकारी दी है कि उक्त कनेक्शन बाबत वादी ने कोई आवेदन नही किया ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात मूल होने से रिकॉर्ड पर लिए जाते है लेकिन वादी अधिवक्ता को उक्त दस्तावेजात की हद तक रिबीटल में दस्तावेजात पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन व तथ्यो तथा परिस्थितियो को देखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आंशिक दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाते है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 28/3/2026 को पेश हो।

Arun Choudhary

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन